



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 20.11.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### शातिर गैंगस्टर डमरू उर्फ राममूर्ति के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, अपराध से अर्जित चल-अचल संपत्ति की गई जब्त



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरन्तर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 20.11.20 को थाना धौरहरा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी डमरू उर्फ राममूर्ति पुत्र परशुराम नि० खरबहिया थाना धौरहरा खीरी के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान अभियुक्त डमरू उर्फ राममूर्ति द्वारा अपराध से अर्जित की गई 01 लाख रु० कीमत से अधिक की चल-अचल सम्पत्ति जब्त की गई है। जिसमें 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद सोलर पैनल, पम्पिंग सेट आदि शामिल है। अभियुक्त डमरू उपरोक्त शातिर

किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध पूर्व में हत्या के प्रयास, गुण्डा अधि०, आर्म्स एक्ट, चोरी आदि के 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

## थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त प्रसाद को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 20.11.20 को थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रसाद पुत्र कल्लू नि० ढखेरवा बन्धा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 012 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 849/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रसाद शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट व एनडीपीएस एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं।

### अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 542/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी
2. मु०अ०सं० 489/2018 धारा 2/34 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना निघासन खीरी
3. मु०अ०सं० 197/2018 धारा 379/411/413/414/419/420/479/471/34 भा०द०वि० थाना निघासन खीरी
4. मु०अ०सं० 195/2018 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना निघासन खीरी
5. मु०अ०सं० 574/2017 धारा 8/20 NDPS Act थाना निघासन खीरी
6. मु०अ०सं० 573/2017 धारा 379/511 भा०द०वि० थाना निघासन खीरी
7. मु०अ०सं० 101/2018 धारा 379/411/413/467/468 भा०द०वि० थाना फरधान खीरी

## थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त उमेश को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 20.11.20 को थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र घनश्याम निवासी गुठना खुर्द थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 491/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों 1. गंगाराम पुत्र छोटेलाल 2. संजीव कुमार पुत्र घनश्याम 3. रंजीत पुत्र राधेश्याम नि0गण मौजमाबाद थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1040 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 449/20 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 01 किलोग्राम अवैध गांजा सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1. हरिओम मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा 2. सुधीर कुमार पुत्र मैकूलान नि0गण राम नगर कालोनी थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 01 किलोग्राम चिप्पड़( गांजा ) बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 335/20 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना पसगवां पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मुकदमे में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तों के किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 20.11.20 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 560/19 धारा 306 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. सन्दीप पुत्र सुरेश 2. संजय पुत्र दिनेश नि0गण ग्राम मोहदियापुर थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

**थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त रिपल सिंह को किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 20.11.20 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त रिपल सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० ग्राम ऊंचागांव थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 372/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 1.150 किलोग्राम अवैध गांजा सहित संजय सोनी उर्फ संजू को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय सोनी उर्फ संजू पुत्र स्व० शिव नारायन नि० मो० शिवपुरी थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1.150 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 1245 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 257/20 धारा 323/504/506 में वांछित अभियुक्तों 1. शत्रोहन लाल पुत्र श्यामलाल 2. अभय कुमार पुत्र शत्रोहन लाल नि0गण खमरिया थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 124/20 धारा 147/148/149/307 भादवि में वांछित अभियुक्तों 1. अभिलाष उर्फ विनय शुक्ला पुत्र स्व0 ओमप्रकाश नि0 बहादुरनगर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 415/20 धारा 147/149/302/323/504/506 व 3 (घ) एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तों 1. रुपराम पुत्र जगन्नाथ 2. ररामसेवक पुत्र सुशील 3. श्यामू पुत्र सुशील नि0ग करनपुर थाना नीमगांव खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 02/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त बलराम पुत्र मैकूलाल नि0 बननूपुर कलां थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **240 लीटर अवैध**

**कच्ची, 06 शराब भट्टी बरामद कर 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फरधान	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना कोतवाली सदर	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना भीरा	50 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना फूलबेहड़	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना ईसानगर	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना संपूर्णानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	<b>कुल योग</b>	<b>240 लीटर</b>	<b>15 अभियुक्त गिरफ्तार</b>